

22/11/18

पणवली पेय ईश / वकील प्रार्थी उपर वही
 का पूरा वाद निर्णय हो चुका है अतः
 इस पणवली को बल से चलाने का कोई
 उचितप नही है अतः जब को पूरा वाद के
 निर्णय व डेडी में त्वर विशेषज्ञावेधक
 किया जा सका है इसलिये गर्पनापन इसी
 स्टेज पर लाकी जा दिया जाता है

